

डिकी मुकदमा इत्दादाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-
प्रकरण संख्या:-252/2021

हेमराज गूर्जर, R.A.S.
दायर दिनांक:-18.03.2021

जीसीएमएस नं. 2021/116
हुकमसिंह उम्र 68 साल पुत्र तितुरिया जाति जाट निवासी वाई जट्ट हालवासी सूरौठ तहसील
सूरौठ जिला करौली (राज0)

—वादी

बनाम

1. राजेश सिंह उम्र 38 साल पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी बाईजट्ट तहसील सूरौठ
जिला करौली (राज0)
2. राजीव सिंह पुत्र हुकमसिंह उम्र 29 साल जाति जाट निवासी बाईजट्ट तहसील सूरौठ
जिला करौली (राज0)
3. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा न0 317/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी श्री रमाकांत शर्मा मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि तकास्मा आराजी फाईनल डिकी किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 19.11.2024 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है

ग्राम बाईजट्ट तहसील सूरौठ

क्र. सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	हुकम पुत्र तितुरिया जाति जाट निवासी बाईजट्ट	493 505/3	0.42 है0 0.02 है0
2	प्रतिवादी	राजीव सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जाट निवासी बाईजट्ट	505/2	0.22 है0
3	प्रतिवादी	राजेश कुमार पुत्र हुकम सिंह जाति जाट निवासी बाईजट्ट	505/1	0.22 है0


नोट:- शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं डिकी का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज



बदस्तुर रहेंगे। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तावेज व मुहर अदालत के आज तारीख 30/05 को यह डिक्री जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)